न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03/2019 **दायर दिनांकः 24.05.2019**

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र हरदेव जाति मीणा उम्र 85 साल ग्राम रामपुरिया थाना अटरू जिला बारां राज0 हाल मुकाम वृद्ध आश्रम श्री करणी नगर विकास समिति एरोड्रम के सामने विज्ञान नगर कोटा।

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।
2. चौथमल पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007</u>

निर्णय दिनांक 06.11.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0 हाल मुकाम वृद्ध आश्रम श्री करणी नगर विकास समिति एरोड्रम के सामने विज्ञान नगर कोटा का रहने वाला है। जिसको प्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है। घर से निष्कासित कर दिया है। जिससे प्रार्थी का जीवन —यापन करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि गांव रामपुरिया पटवार मण्डल कुंन्जेड तहसील अटरू में मेरी खातेदारी में 40 बीघा कृषि भूमि है। जो कि पूरी पीवत है। इस जमीन पर मेरे दौनों पुत्र मांगीलाल व चौथमल ने कब्जा करके मुझे मेरे घर जो कि मरे द्वारा ही निर्मित किया गया है मुझे जमीन से व मकान से बेदखल कर रखा है। कोई खर्चा खाना भी नही दे रहे है। गाली गलौच व धमकाते है। इस कारण में परेशान होकर करीब 1 महीने से श्री करणी नगर विकास समिति के वृद्धाश्रम में निवास कर रहा हूॅ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे दौनों पुत्रों को पाबन्द कर नियमानुसार मेरी जमीन व खर्चा दिलवाने की कृपा करें।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब कर, भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रार्थी द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को प्रताडित कर घर से निष्कासित कर दिया गया है। प्रार्थी की ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल कुंजेड़ तह0 अटरू में 40 बीघा आराजी खाते दर्ज है। जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी श्री करणी नगर विकास समिति के वृद्धाश्रम में निवास कर रहा है। जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी वृद्ध है। अन्य कोई काम धन्धा नही कर सकता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को भरण–पोषण राशि दिलवाये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अप्रार्थी पिता पुत्र है। प्रार्थी को घर से निकाल कर प्रार्थी के खाते की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थी को प्रतिमाह 1 से 5 तारीख को मध्य 2000–2000 कुल 4,000 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रार्थी को उपलब्ध करावें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 17:06:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: